

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 20.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Harnath Singh Yadav के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 898 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	वेदान्त यादव	श्री हेमन्त यादव MOB- 9719065040	1	मथुरा कैंट
2	पल्लवी यादव	श्री चन्द्रशेखर यादव MOB- 6397002527	9	इटावा
3	छवि यादव	श्री चन्द्रशेखर यादव MOB- 6397002527	3	इटावा
4	प्रवल प्रकाश श्रीवास्तव	श्री नितिन प्रकाश श्रीवास्तव MOB- 9458085785, 7599359440	7	न.1 चकैरी कानपुर
5	अन्श यादव	श्री अवधेश कुमार MOB- 9911976524	1	सेक्टर-24 नोएडा
6	अविकाराज	श्री राजीव कुमार MOB- 9899665377	8	सेक्टर-24 नोएडा (SHIFT-1)
7	प्रद्युम्न प्रताप सिंह	श्री अजीत प्रताप सिंह MOB- 9410257397	8	अलीगढ़
8	सुयश कुशवाहा	श्री विजय कुमार कुशवाहा MOB- 6307148291	1	RDSO लखनऊ
9	निधि	श्री सुमित कुमार MOB- 8393851043	2	इटावा
10	पूर्वी यादव	श्री गगन यादव MOB- 9412415115	1	न.2 आगरा कैंट

पिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिया ठाकुर
20/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Harnath Singh Yadav माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, AGRA & LUCKNOW संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

85